

[2023] 7 एस. सी. आर 419

ए.

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड v.

वैदिक भंडार और होटल पी. वी. टी. लिमिटेड। (2019 की सिविल अपील संख्या 4979)

बी.

17 मई, 2023

[अजय रस्तोगी और बेला एम. त्रिवेदी, जे. जे.]

बीमा-एक पॉलिसी में बहिष्करण खंड के तहत दावे का खंडन-एक रिसॉर्ट चलाने वाले प्रतिवादी-वादी ने संयंत्र और मशीन सहायक उपकरण और फर्नीचर आदि के साथ रिसॉर्ट की इमारतों के संबंध में दो बीमा पॉलिसियां प्राप्त कीं-प्रतिवादी के अनुसार, लगभग 200-250 व्यक्तियों की भीड़ ने रिसॉर्ट में प्रवेश किया और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया-सर्वेक्षक ने रु। 1 लाख-अपीलार्थी-बीमा कंपनी ने प्रत्यर्थी के दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि प्रत्यर्थी को हुआ नुकसान प्रत्यर्थी प्रबंधन की ओर से दुर्भावनापूर्ण कार्य/कार्यों का परिणाम था और यह बीमा पॉलिसी के खंड V (d) के तहत प्रदान किए गए बहिष्करणों के दायरे में आता है-अपीलार्थी-बीमा कंपनी ने उस घटना पर भरोसा किया था जो फुटबॉल मैच के मैदान में हुई थी, जहां एक आरोपी व्यक्ति और उसके सहयोगियों ने गोलीबारी की थी और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और अन्य घायल हो गए थे, और उसके बाद उन्होंने प्रत्यर्थी के रिसॉर्ट में शरण ली थी-राष्ट्रीय आयोग ने इसमें प्रत्यर्थी द्वारा दायर शिकायत की अनुमति दी, और अपीलार्थी को रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। वादी को ब्याज के साथ 202.216 लाख-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया:यह दिखाने के लिए शायद ही कोई सामग्री है कि पूरी घटना और बीमित संपत्ति को परिणामी नुकसान प्रतिवादी-शिकायतकर्ता के दुर्भावनापूर्ण कार्य के परिणामस्वरूप हुआ था-तत्काल मामले में, अपीलकर्ता-बीमा कंपनी मामले को संबंधित पॉलिसियों के बहिष्करण खंड V (d) के भीतर लाने के अपने बोझ का निर्वहन करने में विफल रही थी-अपीलकर्ता-बीमा कंपनी सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को स्वीकार नहीं करने के लिए ऐसा कोई ठोस कारण बनाने में विफल रही है। बीमा-एक पॉलिसी में बहिष्करण खंड-आयोजित:यह कहना ठीक नहीं है कि पॉलिसी में जहां भी कोई बहिष्करण खंड निहित है, बीमाकर्ता को यह दिखाना होगा कि मामला ऐसे खंड के दायरे में आता है-अस्पष्टता के मामले में, बीमा के अनुबंध को बीमित व्यक्ति के पक्ष में समझा जाना चाहिए।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

419 ए.

420 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 7 एस. सी. आर.

जनरल एस्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड बनामचंदुमुल जैन और

एन. आर. एआईआर 1966 एससी 1644:[1966] एस. सी. आर. 500-अनुसरण किया गया।

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम इशर दास

मदन लाल (2007) 4 एससीसी 105:[2007] 2 एससीआर 1014-पर भरोसा किया गया।

बी.

मामला कानून संदर्भ

[2007] 2 एससीआर 1014

उस पर भरोसा करें

पैरा **15**

[1966] एससीआर 500

पीछा किया।

पैरा **16**

सिविल अपीलिय न्यायनिर्णय:2019 की सिविल अपील संख्या 4979।

सी.

2012 के सी. सी. एन. सं. 227 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 07.01.2019 के निर्णय और आदेश से।

विष्णु मेहरा, सुश्री मंजीत चावला, कुणाल मल्होत्रा, श्रीमती उषा पंत कुकरेती एडवसा।
अपीलार्थी के लिए।

डी.

सुकुमार पटजोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुस्मित पुष्कर, गौरव शर्मा, राज मोहन गुप्ता, नैना अग्रवाल, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ई.

न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी

1. पीड़ित अपीलार्थी-बीमा कंपनी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 23 के तहत वर्तमान अपील दायर की है, जिसमें राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली (इसके बाद "राष्ट्रीय आयोग" के रूप में संदर्भित) द्वारा 2012 की उपभोक्ता शिकायत संख्या 227 में पारित निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत आयोग ने वादी (इसमें प्रतिवादी) द्वारा दायर शिकायत की अनुमति दी है, और अपीलार्थी को रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। वादी को दावा दायर करने की तारीख से छह महीने से कथित भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ ₹1 लाख।

एफ.

जी.

2. पश्चिम बंगाल के 24-परगना (दक्षिण) जिले के पि. एस. राजारहाट के गाँव शिखरपुर में एक रिसॉर्ट चलाने वाले प्रतिवादी-शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता-बीमा कंपनी से दो बीमा पॉलिसियाँ प्राप्त की थीं, जिनमें से एक ए अवधि के लिए पॉलिसी संख्या 100900/11/08/3300000420 थी।

एच.

421

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड v.वैदिक भंडार और होटल पी. वी. टी. लिमिटेड. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

16 सितंबर, 2008 से 15 सितंबर, 2009 तक संयंत्र और मशीनरी सहायक उपकरण और फर्नीचर आदि के साथ उक्त रिसॉर्ट की इमारतों के संबंध में और दूसरा 13 जुलाई, 2009 से 12 जुलाई, 2010 तक की अवधि के लिए स्टॉक के साथ उक्त रिसॉर्ट में दो होटल भवनों के संबंध में नीति संख्या 100900/11/09 3100000270 है।

3. प्रत्यर्थी-वादी के मामले के अनुसार 23 अगस्त, 2009 को शाम लगभग 5 बजे, लगभग 1 व्यक्तियों की भीड़ ने रिसॉर्ट में प्रवेश किया और बीमित संपत्ति को क्षतिग्रस्त/नष्ट कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप वादी को नुकसान हुआ। घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी और वैदिक विलेज रिजॉर्ट, पी. एस. राजारहाट के महाप्रबंधक शांतनु भट्टाचार्य द्वारा दी गई लिखित शिकायत पर 2009 की प्राथमिकी संख्या 144 दर्ज की गई थी।

बी.

सी.

वादी 4 वादी .वादी वादी 2 वादी 0 वादी 0 वादी 9 वादी वादी कवादी ीवादी वादी 1 वादी 4 वादी 3 वादी वादी नवादी ंवादी बवादी रवादी वादी कवादी ीवादी वादी एवादी कवादी वादी अवादी नवादी ्वादी यवादी वादी पवादी ्वादी रवादी ावादी थवादी मवादी िवादी कवादी ीवादी वादी पवादी ीवादी .वादी वादी एवादी सवादी .वादी वादी रवादी ावादी जवादी ावादी रवादी हवादी ावादी टवादी वादी मवादी ेवादी ंवादी वादी 2 वादी 3 वादी वादी अवादी गवादी सवादी ्वादी तवादी ,वादी वादी 2 वादी 0 वादी 0 वादी 9 वादी वादी कवादी ोवादी वादी गवादी फवादी ्वादी फवादी ावादी रवादी वादी मवादी ोवादी लवादी ्वादी लवादी ावादी वादी औवादी रवादी वादी उवादी सवादी कवादी ेवादी वादी सवादी हवादी यवादी ोवादी गवादी िवादी यवादी ोवादी ंवादी वादी कवादी ेवादी वादी खवादी िवादी लवादी ावादी फवादी भारतीय दण्ड संहितावादी वादी सवादी ीवादी .वादी वादी कवादी ीवादी वादी धवादी ावादी रवादी ावादी वादी 1 वादी 2 वादी 0 वादी बवादी ीवादी ,वादी वादी 5 वादी 0 वादी 6 वादी ,वादी 2 वादी 1 वादी 2 वादी वादी औवादी रवादी वादी शवादी सवादी ्वादी तवादी ्वादी रवादी वादी अवादी धवादी िवादी नवादी िवादी यवादी मवादी वादी कवादी ीवादी वादी धवादी ावादी रवादी ावादी वादी 2 वादी 5 वादी वादी औवादी रवादी वादी 2 वादी 7 वादी वादी कवादी ेवादी वादी तवादी हवादी तवादी वादी अवादी पवादी रवादी ावादी धवादी वादी कवादी ेवादी वादी लवादी िवादी एवादी वादी दवादी रवादी ्वादी जवादी वादी कवादी ीवादी वादी गवादी ईवादी वादी थवादी ीवादी ।वादी जब उक्त फुटबॉल मैच चल रहा था, तो अचानक एक गप्फार मोल्ला और उसके सहयोगियों ने मैच को स्थगित करने के लिए गोलीबारी और बम फेंकना शुरू कर दिया। नतीजतन, वादी के भाई, आलम उर्फ अमीरुल सरदार को गोली लगी जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई। बम विस्फोट के कारण कई अन्य दर्शक भी घायल हो गए।

डी.

ई.

5. अनुसंधान के दौरान, यह पता चला कि आरोपी-गप्फार मोल्ला और उसके सहयोगियों ने फुटबॉल मैच स्थल पर गोलीबारी और बम फेंकने के बाद, और भीड़ द्वारा पीछा किए जाने

पर, प्रतिवादी-वादी के वैदिक रिसॉर्ट्स एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड में शरण ली। चूंकि उक्त गफफार मोल्ला और उनके सहयोगियों को उक्त वैदिक रिसॉर्ट में शरण दी गई थी, इसलिए भीड़ ने उनका पीछा किया और प्रतिवादी-शिकायतकर्ता की बीमित संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। अनुसंधान के दौरान, पुलिस ने 24 अगस्त, 2009 को वैदिक गाँव की तलाशी ली और पाया कि प्रत्यर्थी के वैदिक गाँव के परिसर के भीतर स्थित आवास सामग्री-सह-विद्युत भंडार कक्ष से पाइप बंदूकें, बोरे में जीवित बम और विस्फोटक पदार्थ पाए गए और बरामद किए गए।

एफ.

जी.

6. सर्वेक्षणकर्ता की नियुक्ति पर, दिनांक 16.06.2011 की अंतिम सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षणकर्ता ने इमारतों को हुए नुकसान का आकलन किया और

एच.

422

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 7 एस सी आर।

रुपये की सीमा तक की सामग्री। पॉलिसी संख्या 420 में 197.842 लाख और क्रॉकरी और कटलरी को रु। नीति संख्या 270 में कुल मिलाकर ₹1 लाख के नुकसान का आकलन किया गया है। दोनों पॉलिसियों के तहत 202.216 लाख।

7. अपीलार्थी-बीमा कंपनी ने प्रत्यर्थी के दावे को पत्र 06.07.2012 के माध्यम से यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि जिस नुकसान के संबंध में विषय का दावा किया गया था, वह दुर्भावनापूर्ण कार्य का परिणाम था और इसलिए विषय नीतियों के खंड V (d) के तहत बहिष्करण के दायरे में आता है; और यह कि विषय नीतियों के तहत आने वाले निर्माणों के वर्ग के संबंध में बीमाकृत की ओर से वारंटी का उल्लंघन हुआ था।

बी.

सी.

8. इसलिए प्रत्यर्थी ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष उक्त अधिनियम की धारा 21 के तहत दावे के कथित खंडन को चुनौती देते हुए 2012 की उपभोक्ता शिकायत संख्या 227 दर्ज की, जिसने दिनांक 07.01.2019 के विवादित आदेश द्वारा आंशिक रूप से उसी की अनुमति दी जैसा कि ऊपर कहा गया है। 9. अपीलकर्ता-बीमा कंपनी की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु मेहरा ने जोरदार ढंग से कहा कि प्रत्यर्थी ने कट्टर अपराधी गफफार मोल्ला और उसके

सहयोगियों को शरण दी थी, जिन्होंने फुटबॉल मैच स्थल पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी और कई अन्य लोगों को घायल कर दिया था, वैदिक गांव के अपने परिसर में अवैध आग्नेयास्त्रों और विस्फोटकों का उपयोग किया था और सार्वजनिक द्वेष को आमंत्रित किया था जिससे उसकी बीमित संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। इसलिए, उनके अनुसार, प्रत्यर्थी को हुआ नुकसान वैदिक गाँव के प्रबंधन की ओर से दुर्भावनापूर्ण कार्य का परिणाम था, जो बीमा पॉलिसी के खंड V (d) के तहत प्रदान किए गए बहिष्करणों के अंतर्गत आता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि नीति के खंड 5 (डी) में होने वाले शब्द "या कोई चूक या किसी भी प्रकार या किसी भी व्यक्ति" में कानून का पालन करने के लिए प्रत्यर्थी-शिकायतकर्ता के प्रबंधन की चूक के कारण संपत्ति को हुए नुकसान को शामिल किया जाएगा, और प्रत्यर्थी ने गफफार मोल्ला और उनके सहयोगियों को अवैध गतिविधियों को अंजाम देने और रिसॉर्ट से सटे अपनी भूमि वाले लोगों को आतंकित करने के लिए, अपने रिसॉर्ट के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए शामिल किया था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि सर्वेक्षणकर्ता की सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह राय दी गई है कि नुकसान बीमित खतरे के कारण हुआ था और दावा स्वीकार्य था जो अत्यधिक गलत था और इसे अंतिम नहीं माना जा सकता था।

डी.

ई.

एफ.

जी.

10. हालाँकि, राष्ट्रीय आयोग द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का समर्थन करने वाले प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुकुमार पटजोशी ने प्रस्तुत किया कि ए द्वारा उनके दावे का खंडन किया गया है।

एच.

423

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड v. वैदिक भंडार और होटल पी. वी. टी. लिमिटेड. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

अपीलार्थी-बीमा कंपनी त्रुटिपूर्ण थी और आयोग ने ठीक ही इसे मंजूरी दी थी।

11. अपीलार्थी ने विषय नीतियों के खंड 5 पर भरोसा करने के बाद, उसके प्रासंगिक उद्धरण को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“V. दंगा, हड़ताल और दुर्भावनापूर्ण नुकसान:

बी.

बाहरी हिंसक साधनों से प्रत्यक्ष रूप से बीमित संपत्ति को होने वाली हानि या दृश्य भौतिक क्षति या विनाश, लेकिन

इनके कारण होने वालों को छोड़कर:

(ए) से (सी)।

सी.

(घ) किसी भी दुर्भावनापूर्ण कार्य में चोरी, घर तोड़ने, चोरी, लूटपाट या इस तरह का कोई प्रयास या किसी भी व्यक्ति के किसी भी प्रकार की चूक (चाहे ऐसा कार्य सार्वजनिक शांति में खलल डालने के दौरान किया गया हो या नहीं)।

यदि कंपनी का आरोप है कि नुकसान/क्षति किसी दुर्भावनापूर्ण कार्य के कारण नहीं हुई है, तो इसके विपरीत साबित करने का भार बीमित व्यक्ति पर होगा।”

डी.

12. उक्त खंड के खाली पढ़ने से, यह स्पष्ट होता है कि बीमित संपत्ति को प्रत्यक्ष रूप से बाहरी हिंसक साधनों से हुए नुकसान या दृश्यमान शारीरिक क्षति या विनाश को कवर किया गया था, लेकिन चोरी, घर तोड़ने, चोरी, लूटपाट या ऐसे किसी प्रयास या किसी भी दुर्भावनापूर्ण कार्य में किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की चूक के कारण संपत्ति को हुए नुकसान, क्षति या विनाश को कवर नहीं किया गया था। इसमें आगे कहा गया है कि यदि बीमा कंपनी आरोप लगाती है कि नुकसान/क्षति किसी दुर्भावनापूर्ण कार्य के कारण नहीं हुई थी, तो इसके विपरीत साबित करने का बोझ बीमित व्यक्ति पर होगा। तत्काल मामले में, अपीलकर्ता-बीमा कंपनी ने प्रत्यर्थी के विषय पॉलिसी के उक्त खंड 5 (डी) का सहारा लेने के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि प्रत्यर्थी को हुआ नुकसान प्रत्यर्थी वैदिक ग्राम प्रबंधन की ओर से दुर्भावनापूर्ण कार्य/कृत्यों का परिणाम था और यह बीमा पॉलिसी के खंड 5 (डी) के तहत प्रदान किए गए बहिष्करणों के दायरे में आता है। उक्त निष्कर्ष पर पहुँचने के उद्देश्य से, अपीलकर्ता-बीमा कंपनी ने प्रत्यर्थी के दावे को अस्वीकार करते हुए अपने दिनांक 1 दिनांकित पत्र में उस घटना पर भरोसा किया था जो फुटबॉल मैच के मैदान में हुई थी, जहाँ आरोपी गफफार मोल्ला और उसके सहयोगियों ने गोली चलाई थी और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और अन्य घायल हो गए थे, और उसके बाद उन्होंने प्रत्यर्थी के वैदिक गाँव में शरण ली थी।

ई.

एफ.

जी.

एच.

13. हालाँकि, यह सच है कि उक्त गप्फार मोल्ला और उसके सहयोगियों ने वैदिक गाँव में शरण ली थी जब भीड़ उन्मादी हो गई और उनका पीछा किया, और हालाँकि यह भी सच है कि अनुसंधान के दौरान पाइप गन और अन्य विस्फोटक सामग्री वैदिक गाँव के परिसर में पड़ी मिली थी, फिर भी फुटबॉल मैदान में खेले जा रहे फुटबॉल मैच के दौरान गोलीबारी और एक व्यक्ति की मौत की कथित घटना घटनास्थल पर हुई प्रतीत होती है। यह दिखाने के लिए शायद ही कोई सामग्री है कि पूरी घटना और बीमित संपत्ति को परिणामी नुकसान प्रतिवादी-शिकायतकर्ता के दुर्भावनापूर्ण कार्य के परिणामस्वरूप हुआ था। भले ही, उक्त गप्फार मोल्ला और उनके सहयोगियों के खिलाफ आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए, लेकिन अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि गप्फार मोल्ला और उनके सहयोगियों ने कहा कि उन्मादी भीड़ द्वारा किया गया नुकसान, प्रत्यर्थी की ओर से दुर्भावनापूर्ण कार्य के कारण हुआ था और इसलिए विषय नीति के खंड 5 (डी) को देखते हुए कवरेज से बाहर रखा गया था।

बी.

सी.

डी.

14. यह कहना सरल है कि पॉलिसी में जहां भी ऐसा बहिष्करण खंड निहित है, बीमाकर्ता को यह दिखाना होगा कि मामला ऐसे खंड के दायरे में आता है। अस्पष्टता के मामले में, बीमा के अनुबंध को बीमित व्यक्ति के पक्ष में माना जाना चाहिए।

15. राष्ट्रीय बीमा में निर्णय का लाभकारी संदर्भ

ई.

इस संबंध में कंपनी लिमिटेड बनाम इशर दास मदन लाल **1** बनाया जाए।

जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:- “8. हालांकि, बीमा कवर की प्रयोज्यता को छोड़कर एक स्पष्ट खंड हो सकता है। जहाँ भी ऐसा अपवर्जन खंड किसी पॉलिसी में निहित है, बीमाकर्ता को यह दिखाना होगा कि मामला उसके दायरे में आता है। अस्पष्टता के मामले में, बीमा का अनुबंध बीमित व्यक्ति के पक्ष में माना जाएगा।”

एफ.

16. जनरल एस्योरेंस सोसाइटी के मामले में संविधान पीठ

लि. बनाम चंदमुल जैन और अन्य **2** ने भी पीछे के रूप में देखा था

जी.

1966 में कि:- “11..... बीमा के अनुबंध और किसी अन्य अनुबंध के बीच कोई अंतर नहीं है सिवाय इसके कि बीमा के अनुबंध में

1 (2007) 4 एससीसी 105 2 एआईआर 1966 एससी 1644 ए

एच.

425

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड v. वैदिक भंडार और होटल पी. वी. टी. लिमिटेड. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

उबेरिमा फिडेस की आवश्यकता है अर्थात् बीमाकृत की ओर से सद्भावना और अनुबंध को कॉन्ट्रा प्रोफेरेन्टम के रूप में माने जाने की संभावना है जो अस्पष्टता या संदेह के मामले में कंपनी के खिलाफ है।

17. तत्काल मामले में, अपीलकर्ता-बीमा कंपनी संबंधित पॉलिसियों के बहिष्करण खंड वी (डी) के भीतर मामले को लाने के अपने बोझ का निर्वहन करने में विफल रही थी। अंतिम सर्वेक्षण रिपोर्ट दिनांक 16.06.2011 में सर्वेक्षणकर्ता ने यह भी राय दी थी कि नुकसान बीमित जोखिम के कारण हुआ था और दावा स्वीकार्य था। हालाँकि यह सच है कि सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट अंतिम और अंतिम नहीं है और न ही इतनी पवित्र है कि उससे अलग होने में असमर्थ है, हालाँकि, रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करने के लिए बीमाकर्ता द्वारा कुछ ठोस और संतोषजनक कारण या आधार बनाए जाने चाहिए। हमें डर है कि तत्काल मामले में, अपीलकर्ता-बीमा कंपनी सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करने के लिए ऐसा कोई ठोस कारण बनाने में विफल रही है।

बी.

सी.

18. मामले के उस दृष्टिकोण में, हम वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है।

डी.

अंकित ज्ञान

याचिका खारिज कर दी गई।

ई.

एफ.

जी.

एच.